

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/17

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत रसायनशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

रसायनशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	प्रो. आर.एन. पटेल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म0प्र0)
28(2) दो	1.	डॉ. के.एन. शर्मा, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा(म0प्र0)
	2.	डॉ. विनोद कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, सं.गां.स्मृ. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी(म0प्र0)
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. ओ.पी. राय, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म0प्र0)
	2.	डॉ. शैलजा सचान विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, शास. माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) पाँच	1.	डॉ. संजय तिवारी प्राध्यापक, रसायनशास्त्र विभाग, शास. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा(म0प्र0)
	2.	डॉ. कमलेश मिश्र सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत प्रो. आर.एन. पटेल को रसायनशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)